भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3778

गुरूवार, 3 अप्रैल, 2025 / 13 चैत्र, 1947 (शक)

कार्यस्थल पर तनाव और कर्मचारी कल्याण संबंधी विनियमन

3778. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कार्यस्थल पर बढ़ते तनाव और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का संज्ञान लिया है;

(ख) काम के घंटे, उचित व्यवहार और कर्मचारी कल्याण के संबंध में श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार अत्यधिक कार्यभार से संबंधित स्वास्थ्य संकटों की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश लागू करने की योजना बना रही है; और

(घ) कार्यस्थल पर तनाव और अनुचित श्रम प्रथाओं के संबंध में पिछले पांच वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): 'श्रम' समवर्ती सूची का विषय होने के कारण इसे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लागू किया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है जबकि राज्य क्षेत्र में अनुपालन, राज्य श्रम प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

मौजूदा श्रम कानूनों के अनुसार, कार्यघंटों सहित कार्यदशाओं को, कारखाना अधिनियम, 1948 और संबंधित राज्य सरकारों के दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों के उपबंधों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। निजी/कॉर्पोरेट क्षेत्र सहित अधिकांश प्रतिष्ठान, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा अधिशासित होते हैं, जिसके लिए समुचित सरकार राज्य सरकार है।
